बनाम ...सरकार...

किस्म मुकदमा ......131, 128...... नं. ......4/2022...... सन् ......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुए
12-3-22	प्रार्थीगण की ओर से जो प्रार्थना पत्र फाइल शामिल तरमीम किए जाने हेतु पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, मैंने पत्रावली का ध्यान से अवलोकन किया, पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट, पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड, दस्तावेजों के आधार पर मामला नक्शे में त्रुटिपूर्ण तरमीम होना सिद्ध होता है। ऐसी सूरत में प्रार्थी मन्दिर मूर्ति की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर नक्शे की तरमीम को दुरस्त करना उचित समझती हूँ। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी मन्दिर मूर्ति स्वीकार किया जाता है, तदनुसार निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर आदेश पारित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील शामिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:23:59 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 4/2022 तारीख दायरा 09.03.2022

उनवान

मन्दिर मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज, विराजमान, उमरघाट, ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा पुजारी राजेन्द्र कुमार वैष्णव पुत्र श्री द्वारकालाल जाति बैरागी निवासी ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।

—प्रार्थी

बनाम

राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 128 एल. आर. एक्ट

उपस्थित :—

श्री नरेश कुमार गौतम (वकील प्रार्थी) दिनांक :— 12.03.2022

श्री सरकार पैरोकार

——निर्णय——

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी मन्दिर मूर्ति की ओर से जरिये पुजारी द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम सांगोद में उजाड नदी के किनारे पर खसरा नंबर 1910 रकबा 0.60 हैक्टर किस्म गै.मु.आबादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:23:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्टेट
सांगोद (कोटा)

खाता सरकार एवं खसरा नंबर 1920/1 रकबा 1.28 हैक्टर किस्म गै.मु.कब्रिस्तान स्थानीय निकाय विभाग नगरपालिका सांगोद के खाते दर्ज है। उक्त दोनों खसरा नंबरान एक दूसरे से लगे हुये हैं जिसमें खसरा नंबर 1910 के दक्षिण दिशा में खसरा नंबर 1910/1 स्थित है जिसमें मूल खसरा नंबर 1910 में तरमीम सेग्रीकेशन जमाबन्दी के समय की गई थी। मौके पर खसरा नंबर 1911 के उत्तर में खसरा नंबर 1910 की खाली पडत भूमि पडी हुई है जिसमें वादी मूर्ति हनुमान जी महाराज का मन्दिर बना हुआ है तथा खसरा नंबर 1911 के पूरब में खसरा नंबर 1910/1 गै.मु.कब्रिस्तान की बाउण्ड्रीवाल हो रही हैं किन्तु दौराने सेग्रीकेशन खसरा नंबर 1910 व 1910/1 की तरमीम राजस्व नक्शे में त्रुटिपूर्ण कर दी है जिसके कारण मूर्ति मन्दिर खसरा नंबर 1910/1 गै.मु.कब्रिस्तान में प्रतीत हो रहा है जबकि मून्दिर खसरा नंबर 1911 के उत्तर में खसरा नंबर 1910 में सदैव से ही स्थित रहा है। उक्त त्रुटिपूर्ण तरमीम के कारण मौके की स्थिति व राजस्व नक्शे की स्थिति में भिन्नता आ गई है जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। नजरी नक्शा निम्न प्रकार से है :–

उत्तर ⇧

अ. मौजूदा अशुद्ध नक्शा :–

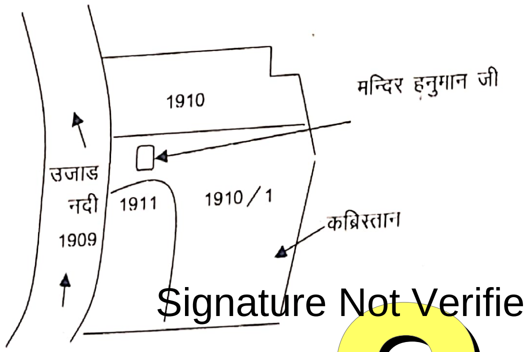

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:23:59 IST
Reason: SelfAttested

उत्तर ⇧

ब. प्रस्तावित शुद्ध नक्शा :–

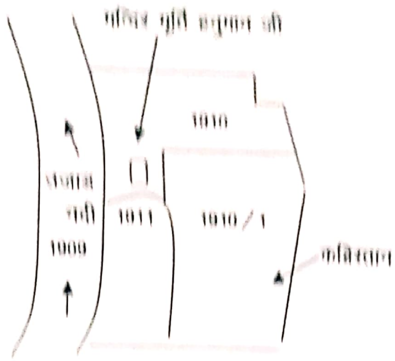

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया कि उक्त त्रुटिपूर्ण तरमीम के कारण हनुमान जी का मन्दिर कब्रिस्तान में प्रकट हो रहा है। ऐसे में उक्त त्रुटिपूर्ण तरमीम को यदि न्यायहित में दुरूस्त नहीं किया गया तो उक्त राजस्व त्रुटि के कारण कभी भी गांव का सोहार्द को खराब कर सकता है व उक्त राजस्व त्रुटि दो सम्प्रदायों में अशान्ति का कारण बन सकती है। ऐसी सूरत में न्यायहित में उक्त त्रुटिपूर्ण तरमीम को नक्शे में दुरूस्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। उक्त संबंध में प्रार्थी मूर्ति मन्दिर की ओर से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय सांगोद को लिखित प्रार्थना पत्र दिनांक 22.02.2022 को प्रस्तुत किया था जिस पर श्रीमान द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की थी जिस पर पटवारी हल्का द्वारा विवादग्रस्त स्थल का मौका निरिक्षण करके मौका रिपोर्ट तैयार की है जिससे भी उक्त त्रुटिपूर्ण तरमीम की पुष्टि होती है जिसे हल्का पटवारी द्वारा भी शुद्धियोग्य माना है। विवादग्रस्त आराजी माल ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है तथा नक्शे की उक्त त्रुटि गत सेग्रीकेशन के दौरान की गई होने से माननीय न्यायालय को इस प्रार्थना पत्र का श्रवण करने का क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अतः माल [illegible] के राजस्व नक्शे में खसरा नंबर 1910 व 1910/1 को [illegible] दुरूस्त करने के आदेश फरमाये जावें तथा उक्तानुसार राज[illegible] रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:23:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया जिसमें पटवार मण्डल सांगोद की मौका रिपोर्ट दिनांक 23.02.2022 में पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट की गई है कि ग्राम सांगोद के खसरा नंबर 1910 तथा 1910/1 का मौका देखा गया। मुताबिक रिकार्ड खसरा नंबर 1910 रकबा 0.60 हैक्टर किस्म गै.मु.आबादी खाता सरकार तथा खसरा नंबर 1910/1 रकबा 1.28 हैक्टर किस्म गै.मु. कबिस्तान, स्थानीय निकाय विभाग नगरपालिका सांगोद के नाम खाता दर्ज है। नक्शे के अनुसार उत्तर दिशा में खसरा संख्या 1910 तथा दक्षिण दिशा में खसरा नंबर 1910/1 है। मूल खसरा 1910 में तरमीम सेग्रीगेशन जमाबन्दी के समय की गई थी। मौके पर खसरा नंबर 1911 के सामने उत्तर–पश्चिम दिशा की आराजी खाली पडत पडी है जिस पर परदेशी बम्बूल उगे हुये हैं तथा खसरा संख्या 1911 के सामने उत्तर–पूर्वी दिशा में पत्थर की पक्की दीवार बनी हुई है जो कब्रिस्तान की है। अतः मूल खसरा नंबर 1910 की तरमीम करते समय खसरा नंबर 1911 के सामने उत्तर–पश्चिम दिशा का हिस्सा भी गै.मु. कब्रिस्तान खसरा नंबर 1910/1 में हो गया है जिसमें मौके पर हनुमान जी का चबूतरा बना हुआ है। उपरोक्त त्रुटि सहवन से हुई है जो शुद्धि योग्य है। मैंने पत्रावली का गहन अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड, दस्तावेजों के आधार पर मामला नक्शे में त्रुटिपूर्ण तरमीम करने का सिद्ध होता है। ऐसी सूरत में प्रार्थी मन्दिर मूर्ति की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर नक्शे की तरमीम को दुरूस्त करना उचित समझती हूँ।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी मन्दिर मूर्ति स्वीकार कर माल ग्राम सांगोद तहसील सांगोद के राजस्व नक्शे में खसरा नंबर 1910 व 1910/1 की त्रुटिपूर्ण तरमीम को प्रस्तावित नक्शानुसार दुरूस्त करने के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (को...)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:23:59 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:23:59 IST
Reason: SelfAttested